

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम-126)

आदेश पत्रक ता० :- से - तक

जिला :- रायवा सं० - 71 सन् 20 16 - 20 17

केश का प्रकार :- सीमांकन के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	--

20.01.2017

श्रीमती डिगिता देवी

वल्द श्री मनदीप डरांव

ग्राम अन्नराय नवाडी पोस्ट

थाना रायवा जिला रायवा

ने अपने भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसका विवरण निम्नवत है:-

भूमि का विवरण

ग्राम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
अन्नराय नवाडी	37	839, 965, 815	0.08
	1	833, 855, 972	0.18
	5	951, 955, 969	0.08
		844, 855, 942	0.07
		862	0.06

हल्का कर्मचारी/अंचल अमीन उक्त भूमि का जांच प्रतिवेदन दें कि प्रश्नागत भूमि किसकी है तथा मापी हेतु कितना समय लगेगा ताकि मापी शुल्क जमा कराया जा सके।

अंचल पदा०

रायवा

अभिलेख प्रस्तुत किया गया। हल्का कर्मचारी / अंचल अमीन के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। तदनुरूप आवेदक को मापी शुल्क के रूप में मो० 2400/- रु. जमा करने का आदेश दिया जाता है। अंचल नाजीर उक्त राशि की जमा का नाजीर रसीद निर्गत करें। साथ ही अंचल अमीन को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि का सीमांकन करके दिनांक तक अपना प्रतिवेदन दें।

अपने स्तर से सभी पक्षों को अवगत करा दें।

अंचल पदा०

रायवा

N.R. No.

168926

मो० 2400/- (चौबिस सौ) रुपये मात्र।

अन्नराय नवाडी

11.03.19

अभिलेख उपकरणों पर।

अंशक आगों से शीतलक प्रविष्टि

जापड़े।

पिक्का खिलेख के पि आवेदिक डिग्री देवी का भूगोल पर वर्तमान में दखल-कब्रिया नहीं है।

आवेदिका दखल-कब्रिया का निर्धारण हेतु वाक्यात आगमालय परा सकते हैं।

अंशक आगों के पार्थ प्रविष्टि के आधार पर अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Ull

11.3.19
अंशक अधिकारी
गदवा।